

अत्यन्त महत्वपूर्ण / ई-मेल

प्रेषक,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक  
विषय—  
महोदय,

उ0वि0शि0प0 / पंजीकरण / ४९४-५० / 2024-25 दिनांक ३। जनवरी 2025  
कक्षा 09 एवं 11 परिषदीय पंजीकरण वर्ष 2024-25 में संशोधन की प्रक्रिया / पंजीकरण से  
वंचित छात्र-छात्राओं हेतु ऑन-लाईन पोर्टल विस्तारित किये जाने विषयक।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा परिषद् कार्यालय को उनके पत्रों एवं दूरभाष से अवगत कराया जा रहा है कि उनके द्वारा वर्ष 2024-25 में ऑन-लाईन किये गए नामावली में कतिपय स्थानों पर यथा छात्र-छात्रा के नाम, माता/पिता के नाम, जन्मतिथि, विषय, जाति, माध्यम, लिंग, विकलांगता, अल्पसंख्यक, मोबाइल न0, ई-मेल आई0डी0 इत्यादि की अंकना त्रुटिपूर्ण परिलक्षित हो रही है तुल्येखनीय है कि पंजीकरण के डाटा का प्रयोग परिषदीय परीक्षा 2026 के लिए किया जाना है। यह संशोधन की व्यवस्था कक्षा 09 व 11 के (संस्थागत) छात्र-छात्राओं के लिये ही लागू होगी।

अतः सम्यक विचारोपरान्त छात्र हित में कक्षा 09 एवं कक्षा 11 के ऑन-लाईन पंजीकरण डाटा में परिलक्षित त्रुटियों में संशोधन हेतु एक अन्तिम अवसर विद्यालय को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जा रहा है कि विद्यालय में अंकित त्रुटियों का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर वांछित संशोधन यथा विवरणानुसार पूर्ण कर लिया जाय साथ ही छात्र-छात्राओं का पंजीकरण, संशोधन हेतु परिषद् की वेबसाइट [www.ubse.uk.gov.in](http://www.ubse.uk.gov.in) के Board ExaminationIcon पर लिंक URLFORHIGHCHOOL के माध्यम से लॉग इन करेंगे। पंजीकरण आवेदन ऑनलाईन किये जाने तथा पंजीकरण संशोधन की शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। इस हेतु पोर्टल दिनांक 01 फरवरी, 2025 से 10 फरवरी, 2025 तक ऑन-लाईन डाटा पंजीकरण, संशोधन के लिये खोला जा रहा है। संशोधन के उपरान्त नामावली डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट कर लेवें।

विज्ञ हों कि इसके उपरान्त भी यदि कोई भी पंजीकृत छात्र-छात्राओं के ऑन-लाईन पंजीकरण करने व डाटा में संशोधन से वंचित रह जाता है, अथवा कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य का होगा।

भवदीय

(१०पी० सिमल्टी)  
०१/२०२५

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)।

पृष्ठांकन सं0: उ0वि0शि0प0 / पंजीकरण / ४८८-५० |, 2024-25 दिनांक उपरोक्तवत्।

प्रतिलिपि—: निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—सभापति / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

2—समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी) उत्तराखण्ड।

3—समस्त संस्थाध्यक्ष, शासकीय / अशासकीय विद्यालय (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी)।

भवदीय

(वी0पी0 सिमलटी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

रामनगर (नैनीताल)।